छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-07

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2013

(फाल्गुन-6, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07, 09, 10, 12, 14, 15, 18 एवं 19 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 08, 11, 13, 16 एवं 17 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री दूजराम बौद्ध, ताम्रध्वज साहू, राजकमल सिंघानिया, अमरजीत भगत एवं महंत रामसुंदर दास अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक -

(i) एफ 7-29/2012/12 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012,

(ii) एफ 7-29/2012/12 दिनांक 28 जनवरी, 2013, तथा

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, पशुधन विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, (लेखराम साहू-अनुपस्थित), सदस्य ने प्रदेश के धान उपार्जन खरीदी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, लेखराम साहू, सदस्य (अनुपस्थित-सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

6. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की घटनाओं में वृद्धि होने,

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने शासकीय आवासों में रख-रखाव के अभाव में अव्यवस्था होने,

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने रेंजर द्वारा प्रताड़ित किये जाने,

(4) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कर्रानाला बांधा नाली निर्माण कार्य में विलंब होने, तथा

(5) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने भिलाई नगरपालिका निगम के फेस 2 में पेयजल की समस्या होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित 20 सदस्यों को बोलना है, तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर भी होगा। अतः आज भोजन अवकाश नहीं होगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

7.माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री टी.एस.सिंहदेव, श्रीमती कुमारी मदन साहू, सर्वश्री ह्दयराम राठिया, राजूसिंह ठाकुर, नंदकुमार पटेल, सौरभ सिंह, अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री शिवराज सिंह उसारे,

(सभापति महोदय (श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर) पीठासीन हुईं।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 5.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 26 फरवरी, 2013 (फाल्गुन, 7 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा